

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-10.07.2024

सेवा में,

**PREM PRAKASH,**  
DRONA GROUP OF INSTITUTION TRUST,  
BABUDIH, B- POLYTECHENIC, DIST.- DHANBAD.

**विषय :- मौजा-KUSUMDAH @ BAGULA, प्लाट नं०-(OLD)- 1307,1308, (NEW)- 989, खाता नं०-(OLD)-20, (NEW)- 234, वार्ड नं०-00, थाना-BAGULA (10), जिला-धनबाद में निर्मित स्कूल भवन हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार संबंधित निर्मित स्कूल भवन के स्थल की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, धनबाद के माध्यम से निर्मित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-426 दिनांक-08.07.2024 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :-

1. अग्निशमन कार्य हेतु भवन में कम से कम दस-दस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवन के सभी स्टेयरकेश में डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय, जिसके प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबी में प्रत्येक तलों पर 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
3. 450ली०/मि० क्षमता का टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
4. इन सभी पम्प को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
5. स्कूल भवन में प्रत्येक स्टेयर केश के प्रत्येक तल पर एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
6. स्कूल परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
  - i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
  - ii. Fire Bucket - 04 Nos.
  - iii. Water CO<sub>2</sub> Fire Extinguisher 09 Ltr. - 04 Nos.
7. स्कूल भवन में Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।
8. नर्सरी से कक्षा तीन तक के छात्रों को सतही तल पर बैठाये जाने की व्यवस्था की जाय।
9. सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
10. ऑडिटोरियम के सभी दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए।
11. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के०जी० क्षमता का दो अदद CO<sub>2</sub> Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
12. स्कूल भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाँय।
13. स्कूल भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के०जी० क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
14. स्कूल भवन के प्रत्येक कम्प्यूटर रूम अथवा लैब, ऑडिटोरियम एवं लाईब्रेरी में 4.5 के०जी० क्षमता का दो अदद Co<sub>2</sub> Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
15. स्कूल भवन के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।
16. स्कूल भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
17. भवन में दो सीढ़ी होनी चाहिए एवं सीढ़ियों की चौड़ाई NBC मानक के अनुरूप होनी चाहिए।
18. स्कूल भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाय।

19. स्कूल भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
20. अग्नि-सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
21. संबंधित स्कूल भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित भवन स्कूल को दिये गये अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह को जाँचोपरान्त कभी भी रद्द किया जा सकता है।
22. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

**(जितेन्द्र तिवारी)**

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,  
झारखण्ड, राँची।